कार्यालय मध्यस्थ अधिकारी एवं संभागीय आयुक्त, जयपुर।
प्रार्थना पत्र सख्याः–5/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00045)

1. कमला देवी पत्नी स्व. श्री मुरलीधर
2. अनीता पुत्री स्व. री मुरलीधर,
3. हंसराज पुत्र स्व. श्री मुरलीधर,
4. गोगराज पुत्र स्व. श्री मुरलीधर (अव्यस्क) जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती कमला देवी,
5. मदन लाल पुत्र रूघा,
6. गोपाल पुत्र रूघा,
7. शिवपाल पुत्र रूघा,
8. पतासी बेवा रूघा, समस्त जाति जाट निवासी ढाणी बेनीवालों की वार्ड नम्बर 6, रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. भारत संघ जरिये रेल मंत्रालय, रेलवे भवन, नई दिल्ली।
2. चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर विशेष रेल परियोजना, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर, जयपुर।
3. निदेशक, डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि, पांचवा तल, प्रगति मैदान मैट्रो स्टेशन कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली–110001
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

––अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः 08.05.2019

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20(एफ) (6) रेलवे अधिनियम 1989 विरूद्ध अभिनिर्णय दिनांक 26.12.2016 पेश किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2238 लगायत 2245, खसरा नम्बर 2248, खसरा नम्बर 2281 एवं खसरा नम्बर 2282 की कुल 1.8856 हैक्टयर भूमि तन ग्राम रींगस पटवार हल्का रींगस, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को अवाप्त किया गया है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का 1/100 हिस्सा प्रत्येक का तथा प्रार्थी संख्या 3 लगायत 6 प्रत्येक का 1/25 हिस्सा है तथा इसी अनुसार यह भूमि इनके खातेदारी अधिकार, कब्जे व काश्त की है तथा यह भूमि शहरी क्षेत्र के निकट व आम सड़क पर स्थित हैं। उन्होने आगे कथन किया कि अवाप्ति शुदा भूमि दो फसली सिंचित व

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने कथन किया है कि उक्त आवप्तशुदा प्रार्थीगण के हिस्से की 0.3771 हैक्टयर कृषि भूमि की प्रचलित बाजार दर से कीमत लगभग 56,00,000/–रूपये होती है, इस भूमि में काफी संख्या में लगभग 10 पेड़ लगे हुये है जो लगभग 20–25 साल के है जिनकी कीमत लगभग 1,00,000/–रूपये है, भूमि अवाप्ति के कारण प्रार्थीगण को परिवर्तन करने एवं बेदखली का नुकसान करीब 10,00,000/–रूपये व मानसिक क्षति के 10,00,000/–रूपये अर्थात कुल 87,00,000/–रूपये बतौर क्षतिपूर्ति राशि के प्राप्त करने के अधिकारी है एवं नवीन अधिनियम 2013 के अनुसार भी क्षतिपूर्ति एवं राजकीय सेवा में नियुक्ति पाने के अधिकारी है लेकिन भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मुआवजा राशि का आंकलन करते समय उक्त सभी बातों पर कोई ध्यान नही रखा है तथा भूमि का मुआवजा सिंचित भूमि व मुख्य सड़क के पास के हिसाब से 28,12,329/–रूपये प्रति हैक्टयर के हिसाब से दिलाये जानी चाहिये थी, जो नही दिलाई है साथ ही इस भूमि में जो पेड़ो का नुकसान, बेदखली के कारण परिवर्तन से नुकसान व मानसिक क्षति आदि के मद में कोई मुआवजा नही दिलाया है जो भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है, प्रार्थीगण ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष अपनी यह सब आपत्तियॉ व निवेदन व प्रमाण प्रस्तुत किये थे परन्तु भूमि अवाप्ति अधिकारी ने इन सब बातों पर कोई गौर न करके बहुत कम मुआवजा राशि का निर्धारिण किया, जो गलत है, प्रार्थीगण इस बाबत समस्त प्रमाण व दस्तावेज भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर चुके है, इस बाबत संयुक्त माप व सर्वेक्षण रिपोर्ट भी अप्रार्थीयों के अधिकारियों द्वारा गलत बनाई गई है तथा जानबुझकर इसमें उक्त वास्तविक तथ्यों का समावेश नही किया गया है। अतः प्रार्थीगण की भूमि का मुआवजा प्रार्थीगण को उक्तानुसार तय कर दिलाया जायें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी ने न्यायालय श्रीमान् के समक्ष आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 20(एफ)(6) रेलवे अधिनिमय 1989 विरूद्ध अभिनिर्णय दिनांक 26.12.2006 प्रस्तुत किया है जबकि रेलवे अधिनियम के उक्त धारा निम्न प्रकार है कि:–

"If the amount determined by the competent authority under sub-section (1) or as the case may be sub-section (3) is not acceptable to either of the parties, the amount shall, on an application by either of the parties, be determined by the arbitrator to be appointed by the Central Government in such manner as may be prescribed."

अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र गलत

कर लिया है तो अब कोई आरबीट्रेबल डिस्प्यूट शेष नही रहता है। इस करण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा धारा का.आ. 44 20ए की अधिसूचना दिनांक 04.02. 2015 से तीन वर्ष में किये गये विक्रय विलेखों के औसत का 50 प्रतिशत का अधिकतम मूल्य एवं डी.एल.सी.दरों का विश्लेषण कर भूमि अधिग्रहण पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 के आधार पर मुआवजे का निर्धारण किया गया है जिसकी मुआवजा राशि प्रार्थीगण द्वारा जरिये चैक प्राप्त भी कर लिया जा चुका है, ऐसे में जब प्रार्थीगण द्वारा अपनी सहमति से मुआवजा राशि का भगुतान जरिये चैक प्राप्त ही कर लिये गया है तो फिर उन्हे मुआवजे राशि निर्धारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात करने के अधिकार कानूनन प्रदत्त नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन कारण खारिज किया जाता है।

(के0सी0वर्मा)
आरबीट्रेटर
सभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।